web: www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 29 फरवरी 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 152

» सोनिया पर सीएए के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप

सोनिया गांधी न सिखाए हमें राजधर्मः प्रसाद

नई दिल्ली (आरएनएस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस पार्टी से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कल महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां गई थी और हमें राजधर्म का पालन न करने की नसीहत दी।

दिल्ली में शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि वह राजधर्म के बारे में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से कुछ सवाल करना चाहते है, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले गुरुवार को कांग्रेस के आलानेतृत्व ने राष्ट्रपति भवन जाकर दिल्ली में हुई हिंसा मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके राजधर्म का पालन न करने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से उनका इस्तीफा मांगा है। राष्ट्रपति से इसी मुलाकात को लेकर अब रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया पहली बात यह बताएं कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के विस्थापित हैं, जिनको उनकी आस्था के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी पार्टी की एक सोच रही है। उनकी पार्टी के नेताओं ने बार-बार खुलकर इस पर स्टैंड लिया था या नहीं। प्रसाद ने कहा कि इंदिरा जी ने युगांडा के विस्थापितों की मदद की थी, राजीव गांधी जी ने तमिल लोगों की मदद की थी, मनमोहन सिंह ने कहा था कि नागरिकता मिलनी चाहिए और अशोक गहलोत जी ने तो शिवराज पाटिल और आडवाणी जी को पत्र लिखा था, कि नागरिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये कौन सा राजधर्म है कि आज सब पलट गए। सोनिया जी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या मनमोहन जी ने जो किया था वो गलत था क्या जो इंदिरा जी और राजीव जी ने काम किया था वो गलत था उन्होंने कहा कि सोनिया जी आपने रामलीला मैदान में कहा था कि इस पार और उस पार की लड़ाई होगी। ये कौन सी भाषा है ये उत्तेजना नहीं है तो क्या है एनपीआर का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि एनपीआर कांग्रेस सरकार ने शुरू किया। आप करें तो ठीक, हम उसी काम को करें तो उस पर लोगों को उकसाया जाए। ये कौन सा राजधर्म है सोनिया जी

कांग्रेस के राजधर्म में समानता और सद्भावः कांग्रेस

केंद्रीय मंत्री रविशंकर के सोनिया के राजधर्म वाले बयान पर साधे गये निशाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान राजधर्म में समानता और सद्भाव को महत्व दिया गया, जबकि भाजपा के शासन में पूर्वाग्रह एवं विभाजनकारी मानसिकता हावी है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी का राजधर्म, वो राजधर्म था, जिसमें समानता, सद्भाव को प्राथमिकता दी गई थी और भाजपा जो कर रही है, उसमें पूर्वाग्रह है।

श्रीवास्तव दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में हिंसा के बाद पुलिस की कमान बदल गई है। चार दिन पहले ही दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर (लॉ ऐंड ऑर्डर) बनाए गए एसएन श्रीवास्तव को अब नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

1985 बैच के आईपीएस अधिकारी का नया कार्यकाल 1 मार्च से शुरू होगा। दिल्ली के मौजूदा पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा था, लेकिन उन्हें एक महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। उनका ये विस्तार 29 फरवरी को खत्म हो रहा है। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। दिल्ली में हिंसा के बीच उनकी तैनाती दिल्ली में विशेष पुलिस आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) के पद पर की गई थी। वह फिलहाल जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ में तैनात थे। गृहमंत्रालय ने उन्हें तुरंत रिलीव करने का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया था। एसएन श्रीवास्तव के कार्यकाल में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईपीएल मैच फिक्सिंग का खुलासा किया था। उस समय वह स्पेशल सेल में विशेष पुलिस आयुक्त थे।

महत्वपूर्ण एवं खास

यूपी से लाए गए देसी कट्टों का हुआ इस्तेमाल

» दिल्ली हिंसा

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक हुई जांच में पाया गया है कि दोनों समुदायों में कुछ वाट्सऐप ग्रुप बनाए गए थे। इनमें वीडियो डाल कर लोगों को भड़काया गया और भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड किए गए थे। इसके अलावा पथराव किस इलाके में करना है इसको भी इन ग्रुप के जरिए बताया जा रहा था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। वहीं छानबीन में पता चला है कि उत्तर प्रदेश सीमा यानी यूपी बॉर्डर से भी देसी कट्टों का इंतजाम किया गया था और हिंसा में इनका जमकर इस्तेमाल किया गया है। वाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करके स्थानीय लोगों ने यूपी बॉर्डर से अपराधियों को भी बुलाया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज में स्थानीय नेताओं को भी तलाश रही है। साइबर सेल फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोकेशन की भी तलाश कर रही है।

मौत की सजा उम्रकैद में बदलने को पवन की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

» निर्भया कांड

नई दिल्ली (आरएनएस)। निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चौथे मुजरिम पवन कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दायर कर मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का अनुरोध किया है। पवन कुमार गुप्ता को भी तीन अन्य मुजरिमों के साथ तीन मार्च को सवेरे छह बजे मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिये सत्र अदालत ने मृत्यु वारंट जारी किया है। पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने बताया कि उनके मुवक्किल ने सुधारात्मक याचिका में कहा है कि उसे मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। पवन चारों मुजरिमों में अकेला है जिसने अभी तक सुधारात्मक याचिका दायर करने और इसके बादराष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया था।

उत्तराखंड में 35 वर्षों से शनिवार को वकील कर रहे हैं हड़ताल

» सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी हड़ताल को गैरकानूनी करार दिया

नई दिल्ली (आरएनएस)। उत्तराखंड के तीन जिलों में पिछले 35 वर्षों से प्रत्येक शनिवार को वकीलों द्वारा हड़ताल की जा रही है। शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इन तीन जिलों के वकील पिछले 35 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। यानि जब उत्तराखंड राज्य बना भी नहीं था तब से ही वकीलों की ओर से शनिवार को की जाने वाली हड़ताल बदस्तूर जारी है। ये तीन जिले देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले को गैरकानूनी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड की जिला अदालतों में हर शनिवार की जाने वाली वकीलों की हड़ताल अवमानना के बराबर है। कोर्ट ने इसे लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 35 वर्षों से प्रत्येक कामकाजी शनिवार को इस तरह का मजाक करने और पाकिस्तान के स्कूल में बम विस्फोट तथा नेपाल में भूकंप जैसे तुच्छ कारणों' को लेकर हड़ताल बुलाने के लिए वकीलों को 21 फरवरी को फटकार लगाई थी।

देश के कई राज्यों में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने का दावा

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर केंद्र से शुक्रवार को जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं लेकिन उन्हें अन्य अल्पसंख्यक समूहों को मिले अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की पीठ ने गृह, कानून और न्याय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों को नोटिस जारी करते हुए उनसे उस याचिका पर जवाब मांगा है।

हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 38 पहुंची

» 200 घायल अस्पतालों में भर्ती

नईदिल्ली (आरएनएस)। उत्तर- पूर्वी दिल्ली में तीन दिनों तक हुई हिंसा मरने वालों की संख्या 38 हो गई है, जिसमें गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 34 लोगों की, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में तीन तथा एक व्यक्ति की जग प्रवेश चंद अस्पताल में मौत हुई है।

इस इलाके में तीन दिनों तक हुई हिंसक वारदातों में लगभग 200 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और जांच के लिए क्राइम ब्रांच के अंतर्गत एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। हिंसाग्रस्त इलाकों में समुचित संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने के बाद हालात नियंत्रण में है। 48 प्राथमिकी अब तक दर्ज की जा चुकी है और तथ्यों की जांच करने के बाद और मामले दर्ज किये जाएंगे। एक हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा, ''राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और दृढ़ता का अभिवादन करने का अवसर है। अविष्कार करने के उनके जोश और पथप्रदर्शक अनुसंधान ने भारत और दुनिया की सहायता की है। मेरी कामना है कि भारतीय वैज्ञानिक लगातार कामयाब होते रहें और हमारे युवा मस्तिष्क विज्ञान के प्रति अधिक जिज्ञासा रखें। भारत में अनुसंधान और नई खोजों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए हमारी तरफ से, सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इस वर्ष के शुरू में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान मैंने विज्ञान से जुड़े पहलुओं की चर्चा की थी। उन्हें मैं फिर साझा कर रहा हूं।''

चिन्मयानंद मामले को दिल्ली लाने की याचिका पर दो मार्च को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय कानून की छात्रा से दुष्कर्म मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर उत्तर प्रदेश में चल रहे मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करवाने की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया।

उन्होंने कहा यह मामला बहुत ही गंभीर है और आरोपी रसूखदार आदमी है तथा पीड़िता और उसके परिजनों को पिता को जान का खतरा है। मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए इसके लिए दो मार्च की तारीख मुकर्रर की। पीड़िता और उसके पिता ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है और शीर्ष अदालत से जान की सुरक्षा की मांग की है। न्यायमूर्ति बोबडे ने श्री गोंजाल्विस से कहा कि वह पुलिस सुरक्षा के लिए सबसे पहले राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करें। चिन्मयानंद को पिछले वर्ष 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसका न्यास शाहजहांपुर लॉ कॉलेज का संचालन करता है। उसी कॉलेज में पीड़िता पढ़ती थी। चिन्मयानंद ने कथित तौर पर उसका बलात्कार किया था। लॉ की 23 वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डाली थी।

हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को दिया नोटिस

» सीएए विरोधी प्रदर्शनों की फंडिंग

नईदिल्ली (आरएनएस)। हाईकोर्ट ने दिल्ली में हुई हिंसा और नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जारी प्रदर्शन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की। शाहीन बाग समेत अन्य आठ इलाकों में चल रहे प्रदर्शन को लेकर डाली याचिका में पूछा गया कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है।

इस याचिका पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता अजय गौतम ने हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी कि इन प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली में हिंसा का माहौल बना हुआ है। ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए कि इन धरना प्रदर्शनों की फंडिंग कौन कर रहा है। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अगुवाई वाली बेंच ने की है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वारिस पठान के द्वारा दिए गए बयानों पर भी सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने भड़काऊ बयान दिया और लोगों को उकसाया भी है। हाई कोर्ट ने अब इस याचिका पर दिल्ली पुलिस, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस दिया है। इस मामले पर अब 13 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।

भारतीय वायुसेना के पास मुकाबला करने की पूरी क्षमता

» पाक के परमाणु हमले की धमकी पर बोले उपप्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के उपप्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान द्वारा लगातार परमाणु हमले की धमकी देने का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान परमाणु हमले और उसकी क्षमताओं के बारे में बात कर सकता है। हमारे पास भी ऐसी ही क्षमता है।

बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए उपप्रमुख एयर मार्शल ने कहा कि जहां तक उनके आतंकी कारखानों का सवाल है, वे अब सीमा पार कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे पास उन ठिकानों को उड़ाने के लिए इच्छाशक्ति, क्षमता और राजनीतिक समर्थन है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि बालाकोट हवाई हमलों से भारत की ओर से यह स्पष्ट संदेश गया कि सीमा पार के बुनियादी ढांचों का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

राजनाथ सिंह ने सेंटर फॉर एयर पॉवर स्टडीज में कहा कि हमें जो काम मिला है यदि उसके लिए हमें तैयार रहना है तो यह आवश्यक है कि हम जमीन, आसमान और समुद्र में हर वक्त विश्वास योग्य प्रतिरोधक क्षमता कायम रखें। रक्षा मंत्री ने कहा कि बालाकोट हवाई हमलों ने भारत की ओर से यह स्पष्ट संदेश भेजा है कि सीमा पार के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाह के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि बालाकोट हवाई हमलों ने सीमा पार सिद्धांतों को फिर लिखे जाने को बाध्य किया और देश के संकल्प और क्षमता को दिखाया।

आईबी कांस्टेबल अंकित शर्मा की चाकू से गोद-गोद कर की गई थी हत्या

» पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हिंसा में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम में कई ऐसे तथ्य सामने आए है जो झकझोर देने वाले है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अंकित शर्मा पर बार-बार चाकू से कई हमले किए गए है। इसमें अंकित शर्मा के शरीर पर अनगिनत चाकू के निशान हैं, जिनमें पेट-सीने पर सबसे अधिक वार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है कि अंकित शर्मा की हत्या बेरहमी से की गई।

बता दें, अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी को चांदबाग में नाले से मिला था। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ। आईबी कांस्टेबल अंकित शर्मा का शव गुरुवार शाम उनके पैतृक गांव इटावा ले जाया गया। शहीद अंकित अमर रहे के नारों के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से सलामी दी गई। केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान सहित विभिन्न दलों के नेता, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को सांत्वना दी। यहां उनके अंतिम दर्शन को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुखाग्नि उनके भाई अंकुर शर्मा ने दी। दिल्ली के नेहरू विहार के आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन पर अंकित शर्मा की हत्या के आरोप लगे हैं। अंकित के परिवारवालों ने आरोप लगाया है कि हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन और उनक समर्थक अंकित को खींचकर ले गए।

विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना जरुरीःकोविन्द

» राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए इसरो के मंगलयान मिशन में महिला वैज्ञानिकों की अहम भूमिका को याद किया। कोविंद ने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं की कम संख्या पर अफसोस जताते हुए कहा कि अनुसंधान एवं विकास में कार्यरत मात्र 15 प्रतिशत कर्मी महिलाएं हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक प्रेरित महिला वैज्ञानिकों के मौजूद होने के बावजूद, भारत में आरएंडडी कार्यबल में 15 प्रतिशत से भी कम महिलाएं हैं जबकि वैश्विक स्तर पर यह औसत 30 फीसदी है। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्यापन संस्थानों में भी संख्या इससे अलग नहीं है। कोविंद ने कहा कि विज्ञान पढ़ने वाली उन महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है जो इस क्षेत्र में सफल करियर बनाती है और इस क्षेत्र में काम करना जारी रखती है।

जीएसटी के सहायक आयुक्त पर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त दीपक पंडित के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के सिलसिले में भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।

पंडित के पास तकरीबन चार करोड़ की संपत्ति है जो उनके ज्ञात आय के स्रोत से 376 गुणा अधिक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दायर प्राथमिकी में कहा गया है कि पंडित ने अपने पद का दुरूपयोग किया और यह संपत्ति अर्जित करने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। पंडित, प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती अशोक पंडित के निकट संबंधी हैं।

अशोक पंडित ने 2018 में एक ट्वीट कर दीपक को अपना छोटा भाई बताया था। जांच एजेंसी ने दीपक पंडित, उनकी पत्नी आरूषि एवं उनके दो बेटों आशुतोष एवं दिव्यांश के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने बताया कि जांच एजेंसी के अधिकारियों ने पंडित और उनके परिवार के सात ठिकानों पर गुरूवार को छापेमारी की जो देर शाम तक जारी रही। इन ठिकानों में से छह मुंबई में जबकि एक भुवनेश्वर में स्थित है। सीबीआई ने बताया कि पंडित ने 1985 में मुंबई में सीमा शुल्क विभाग में बतौर लिपिक अपने करियर की शुरूआत की थी और 2014 में पदोन्नत होकर सहायक आयुक्त बन गए और वर्तमान में भुवनेश्वर में तैनात हैं।